

परियोजना का नाम	:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रुक्मिणी बड़ा

तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) परियोजना के निर्माण हेतु (0.252 हे० आरक्षित वन भूमि), (सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे०), (वन पंचायत भूमि शून्य हे०), (नाप भूमि 0.135 है०) अर्थात् कुल 0.387 हे० वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रुक्मिणी बड़ा द्वारा दिनांक 8/3/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रुक्मिणी बड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

6-10-21  
ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी  
ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी  
विकास खण्ड-द्वारीखाल  
पौड़ी गढ़वाल

ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित





दिनांक ११/११/२० को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...द्वारिकाल...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री शिव नारायण सिंह	शिव नारायण
2	श्री आनंद सिंह	आनंद सिंह
3	श्री सत्यवीर सिंह	सत्यवीर
4	श्री नरेश सिंह नेगी	नरेश
5	श्री कुलदीप सिंह	कुलदीप
6	श्री दीपक सिंह	दीपक
7	श्री भारद्वाज	भारद्वाज
8	श्री लालचंद सिंह	लालचंद
9	श्री सोहन लाल	सोहन लाल
10	श्री धनवीर सिंह	धनवीर
11	श्री सतीश सिंह	सतीश सिंह
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		





परियोजना का नाम :-	जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, \_\_\_\_\_

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) (0.252 हे० आरक्षित वन भूमि), (सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे०), (वन पंचायत भूमि शून्य हे०), (नाप भूमि 0.105 हे०) व मक डिस्पोजल हेतु नाप भूमि 0.030 हे० अर्थात् कुल 0.387 हे० का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैन्सडौन) की दिनांक .....19.12.21..... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री Sandeep Kumar उपजिलाधिकारी.....अध्यक्ष
- 2- श्री दिनेश चन्द्र शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी.....सदस्य
- 3- श्री हरपत सिंह रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी (द्वारीखाल).....सदस्य
- 4- श्री ममता देवी वन बी०डी०सी० क्षेत्र .....सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में उपस्थिति हेतु उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) परियोजना हेतु 0.252 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) परियोजना के निर्माण हेतु 0.252 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- सतपुली  
जनपद- पौड़ीगढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- सतपुली  
जनपद- पौड़ीगढ़वाल



It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of Dwarikhal to Barsuri Motor Road (K.M 0.00 to KM 0.500) regarding FRA is as following :

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 0.252 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
कूल भूयण  
पौडी सदस्य  
जिला पंचायत सदस्य  
09 कुल... गढ़वाल

जिला (सिमा) अधिकारी  
जिला सहायक अधिकारी  
पौडी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी  
भूमि संरक्षण वनाधिकारी  
लेन्स डीन (गढ़वाल)

अधिशाली अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0  
कोटद्वार पौडी (गढ़वाल)

जिलाधिकारी  
गढ़वाल  
(डॉ0 विजय कुमार जोगदंडे)  
जिलाधिकारी गढ़वाल



**FORM-1**  
**(for linear projects)**

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

Pauri Garhwal

No - 642/08-LAC- 2012

Dated 17.08.2012

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.252 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of PIU, **PMGSY-ID KOTDWARA** for construction of **Dwarikhal to Barsuri Motor Road (K.M 0.00 to KM 0.500)** in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Barsuri** village in **Satpuli** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.252 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl:-** As above.



जिलाधिकारी  
गढ़वाल

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)



**FORM-II**  
**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - Garhwal

No 643/08-LAC-2021

Dated 17.08.2021

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.252 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PMGSY-ID KOTDWARA for construction of Dwarikhal to Barsuri Motor Road (K.M 0.00 to KM 0.500) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Barsuri village in Satpuli tehsils.

**It is further certified that:**

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.252 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

**Eucl :- As above.**

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
गढ़वाल



**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT ----- (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Dr. Vijay Kumar Jogdande I.A.S** deputy commissioner, ... **P.A.U.R.I.**..... on dated **09/04/21**... at time **01.00**.....at ..... in which application claiming rights in ..... area measuring **0.252 hect** for the construction of ..... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Satpuli** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; **PAORI**.....

Dated: **9/4/21**.....


  
**जिलाधिकारी**  
**पड़वल**

**Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee**

परियोजना का नाम	:-	जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	----	---

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.500) परियोजना के निर्माण हेतु 0.252 है० वनभूमि आरक्षित प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सतपुली तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

  
जिलाधिकारी  
जिलाधिकारी गढ़वाल